सं:–26013/48/भातिंसीपु0/17वीं वा0/स्था–02/न्यायिक जांच कां०(जी०डी०) जे0 हरि लाल नायक/2023– 971;

कार्यालय कमाण्डेंट, 17वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस
गृह मंत्रालय (भारत सरकार)
पत्रालय–रिकांगपिओ, ज़िला– किन्नौर (हि0प्र0)

दिनांक:– 24.02.24

//आदेश//

17वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल के आदेश संख्या 1804 दिनांक 12.10.2023 के तहत दल संख्या 210170276 कां०(जी०डी०) जे0 हरि लाल नायक "एफ" समवाय के दिनांक 11.03.2023(पूर्वा०) से 17वीं वाहिनी मुख्यालय से अनुपस्थित होने के कारणो का पता लगाने के लिए न्यायिक जाँच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सेनानी, 17वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा निम्न आदेश पारित किए जाते हैं :–

2. दल संख्या 210170276 कां०(जी०डी०) जे0 हरि लाल नायक, 'एफ' समवाय, दिनांक 08.02.2023(अप्रा०) को 30 दिन अर्जित अवकाश पर गया। उसे अपनी आमद दिनांक 10.03.2023(अप्रा0) को देनी थी किन्तु कर्मी आमद न देते हुए अनुपस्थित हो गया । कर्मी ने ई–मेल संदेश दिनांक 11.03.2023 के माध्यम से स्वयं के बिमार होने के कारण 30 दिन अर्जित अवकाश बढाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। 17वीं वाहिनी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2212 दिनांक 15.03.2023 के तहत अपनी आमद समस्त मूल चिकित्सा दस्तावेज सहित वाहिनी मुख्यालय में देने हेतु निर्देशित किया गया था। कर्मी को बार–बार पत्राचार करने के उपरांत भी ड्यूटी पर आमद नहीं होने के कारण भा०ति०सी०पु०बल अधिनियम 1992 की धारा 73 में निहित प्रावधानों के तहत कर्मी के संबंधित पुलिस अधीक्षक, जिला–अनंतपुरम,(आन्ध्र प्रदेश) को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3954–55 दिनांक 12.06.2023 के तहत पदाधिकारी को गिरफ्तार कर सेनानी, 17वी वाहिनी को सुपुर्द करने के लिए अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा ना तो उक्त कर्मी को गिरफ्तार कर सेनानी, 17वीं वाहिनी को सुपुर्द किया गया और ना ही कोई सूचना इस कार्यालय को दी गई। कर्मी द्वारा पुनः अपनी पत्नी गर्भवती एवं बिमार होने के कारण ई–मेल संदेश दिनांक 27.07.2023 का हवाला देते हुये 30 दिन अर्जित अवकाश बढाने का प्रार्थना पत्र एवं चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। वाहिनी चिकित्सालय द्वारा दस्तावेज को जाचने के उपरान्त पाया कि कर्मी की पत्नी जो कि 06 माह की गर्भवती है, परन्तु लैब जाच के अनुसार बीमारी जटिल (Complicated) नहीं है, जिसके लिये अवकाश बढ़ौत्तरी की जाये। जिसके उपरांत 17वीं वाहिनी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5371 दिनांक 03.08.2023 के अनुसार पुनः अपनी आमद सम्पूर्ण वैध चिकित्सा दस्तावेजों सहित वाहिनी मुख्यालय में देने हेतु निर्देशित किया गया। कर्मी द्वारा पुनः अपनी पत्नी का प्रसव एवं ईलाज करवाने हेतु ई–मेल संदेश दिनांक–31.08.2023 के तहत दिनांक–15.09.2023 तक without pay leave चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सेनानी महोदय द्वारा अभ्युक्ति दी गई की कर्मी हर बार अलग–अलग कारण बता रहा है। पिछले 7 माह से अधिक अनुपस्थित है जो सही प्रतीत नहीं होता, न्यायिक जांच करें। 07 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी उक्त कर्मी द्वारा 17वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पुलिस बल में अपनी आमद नहीं दी गई और ना ही अनुपस्थिति के बारे में कोई अन्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

3. दल संख्या 210170276 कां०(जी०डी०) जे0 हरि लाल नायक, 'एफ' समवाय, 17वीं वाहिनी के लगातार 07 माह से अधिक बिना किसी अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारणों का पता लगाने हेतु भा०ति०सी०पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 के अनुसार सेनानी, 17वीं वाहिनी भा०ति०सी०पुलिस बल के कार्यालय आदेश संख्या 1804 दिनांक 12.10.2023 के तहत न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया।

लगातार–2/......

गठित न्यायिक जॉच समिति द्वारा दी गई राय से स्पष्ट होता है कि दल संख्या 210170276 कां०(जी०डी०) जे0 हरि लाल नायक, दिनांक 11.03.2023(पूर्वा.) से बिना किसी पूर्व अनुमति के लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त कर्मी अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है। कर्मी भा०ति०सी०पुलिस बल में सेवा करने का ईच्छुक नहीं है। बल के अन्य जवानों को भी बल से विपरीत जाने को प्रेरित कर सकता है। बल की कार्यप्रणाली पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है तथा बल की सुव्यवस्था का अतिक्रमण हो सकता है।

4. दल संख्या 210170276 कां०(जी०डी०) जे0 हरि लाल नायक, 'एफ' समवाय की 17वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल से लेनदारी एवं देनदारी को मिलान करने पर निम्नलिखित देनदारी शेष है :–

<u>देनदारी</u>

1. कर्मी के सी०पी०सी० में तथा मदिरा शाप में जमा धनराशि	–	3,000.00
कुल	–	3,000.00

<u>लेनदारी</u>

2. सरकारी वस्त्रों से निर्गम किये गये वस्त्रों के वर्गीकरण बोर्ड के अनुसार सामान की कीमत	–	8129.35
कुल	–	8129.35

शेष = (लेनदारी) 8129.35 – (देनदारी) 3,000.00 = **5129.35 (लेनदारी) शेष है।**

5. अतः दल संख्या 210170276 कां०(जी०डी०) जे0 हरि लाल नायक, 'एफ' समवाय, को भा०ति०सी०पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74(2) के तहत 11.03.2023(पूर्वा०) से भा०ति०सी०पु० बल से भगौडा **(Deserter)** घोषित किया जाता है। आसूचना शाखा, 17वीं वाहिनी भा०ति०सी०पुलिस बल उक्त कर्मी को जारी भा०ति०सी०पु० बल का पहचान पत्र संबंधित पुलिस प्रशासन की मदद से प्राप्त करने की कार्यवाही करें ताकि कर्मी द्वारा इसका दुरूप्योग न किया जा सकें।

6. उक्त कर्मी का विवरण इस प्रकार है:– Particulars of individual is as under

नाम	–	जे0 हरि लाल नायक (J. HARI LAL NAIK)
पद	–	कां०(जी०डी०) (CT/GD)
पिता का नाम	–	श्री जरपुला कुल्लई नायक (SH. JARPULA KULLAI NAIK)
जन्म तिथि	–	21.06.1993 (21-06-1993)
भर्ती तिथि	–	19-03-2021 (19-03-2021)
Home Address	–	House No. 2/126, Vill.-PUJARI THANDA, P.O.-PODARALLA PALLI, TEH.-MUDIGUBBA, DISTT.-ANANTAPURAMU, STATE-ANDHRA PRADESH, PIN CODE-515154

लगातार–3/......

कद	–	174 से.मी. (174 CM)
छाती का माप	–	83–92 से.मी. (83 To 92 CM)
पहचान चिन्ह	–	नाक के दाहिनी ओर काला तिल (A Black Mole on the right side of the nose)

17वीं वाहिनी भा. ति. सी. पु.
रजि नं० Regd. No. 624
दिनांक Date 27-02-24
समय Time
हस्ताक्षर Sig. 1135

(बसन्त कुमार नोंगल)
कमाण्डेंट
17वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल

CBC 19112/11/0022/2425